

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम  
प्रमुख सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,  
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,  
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक 26 फरवरी, 2021

विषय:- दिनांक 04 फरवरी, 2021 को चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर डाक टिकट जारी किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3936/ सं०नि०-15(52)/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के प्रस्तावानुसार दिनांक 04 फरवरी, 2021 को चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प, विशेष आवरण व विशेष निरूपण के विमोचन हेतु रू० 12,55,800/- (रूपये बारह लाख पचपन हजार आठ सौ मात्र) की प्रतिपूर्ति निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ को किये जाने की कार्योत्तर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

- (1) उक्त स्वीकृति धनराशि का आहरण/ उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
- (2) उक्त स्वीकृति धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय विवरण तथा बिल बाउचर्स निदेशक, संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-001-निदेशक एवं प्रशासन-03-संस्कृति निदेशालय-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
(मुकेश कुमार मेश्राम)  
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- 21 /2021 / 435(1) /चार-2021 तद् दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज।
- 2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
- 3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ०प्र० जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ ।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,  
(शिशिर)  
विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।